

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा  
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2023/98 (प्राथमिक डिक्ली)

दायरा दिनांक : 29.06.2023

**उनवान**

1. नाथूलाल पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां मृतक जयें कायम मुकामान –
  - 1/1. गजानन्द पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/2. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/3. रामवती पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/4. कल्याणी बाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/5. गीताबाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
 निवासीगण महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. रामकिशन पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

**बनाम**

1. राधेश्याम पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड
2. श्रीकिशन पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड
3. रामप्रसाद पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड
4. गोपाल पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड  
निवासीगण ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
5. रामोबाई पुत्री श्री धन्ना लाल पत्नी श्रीलाल, जाति किराड, निवासी कबर बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश
6. ईश्वर लाल पुत्र श्री मथुरा लाल, जाति किराड
7. घनश्याम पुत्र श्री मथुरा लाल, जाति किराड (मृतक)
  - 7/1. नवीन पुत्र घनश्याम नाबालिग
  - 7/2. रीतिका पुत्री घनश्याम नाबालिग
  - 7/3. पूर्ति पुत्री घनश्याम नाबालिग
  - 7/4. अर्चना पुत्री घनश्याम नाबालिग
  - 7/5. बबली पुत्री घनश्याम नाबालिग  
जरिये बविलायत माता रामकली पत्नी स्वर्गीय घनश्याम, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
  - 7/6. रामकली पत्नी घनश्याम जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहबाद जिला बारां0 राज0
8. रामप्यारी पुत्री मथुरा पत्नी कल्याण, जाति किराड, निवासी बरवन, तहसील बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश



  
 (दीप्ति रामचन्द्र मीना)  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

9. शांति पुत्री मथुरा पत्नी श्री प्रकाश, जाति किराड, निवासी जखोली, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
10. नारायण पुत्र जगन्नाथ, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोंडेंट

अपील संख्या 2023/97 (अंतिम डिक्की)

दायरा दिनांक : 29.06.2023

उनवान

1. नाथूलाल पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां मृतक जर्जे कायम मुकामान -
  - 1/1. गजानन्द पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/2. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/3. रामवती पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/4. कल्याणी बाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
  - 1/5. गीताबाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड
 निवासीगण महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. रामकिशन पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड
2. श्रीकिशन पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड
3. रामप्रसाद पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड
4. गोपाल पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड  
निवासीगण ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां
5. रामोबाई पुत्री पुत्री श्री धन्ना लाल पत्नी श्रीलाल, जाति किराड, निवासी कबर बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश
7. ईश्वर लाल पुत्र श्री मथुरा लाल, जाति किराड
- 7/1. घनश्याम पुत्र श्री मथुरा लाल, जाति किराड (मृतक)
  - 7/1. नवीन पुत्र घनश्याम नाबालिग
  - 7/2. रीतिका पुत्री घनश्याम नाबालिग
  - 7/3. पूर्ति पुत्री घनश्याम नाबालिग
  - 7/4. अर्चना पुत्री घनश्याम नाबालिग
  - 7/5. बबली पुत्री घनश्याम नाबालिग
 जरिये बविलायत माता रामकली पत्नी स्वर्गीय घनश्याम, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
- 7/6. रामकली पत्नी घनश्याम जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहबाद जिला बारां0 राज0



(दीप्ति रामचन्द्र मीना)

 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पवेन  
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8. रामप्यारी पुत्री मथुरा पत्नी कल्याण, जाति किराड, निवासी बरवन, तहसील बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश
9. शांति पुत्री मथुरा पत्नी श्री प्रकाश, जाति किराड, निवासी जखोली, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
10. नारायण पुत्र जगन्नाथ, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां

.... रेस्पोंडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 223  
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री ओ.पी.मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से  
श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से,  
शेष रेस्पोंडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 10.04.2026

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

ये दोनों अपीले अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद के प्रकरण संख्या – 36/2019 निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।



दोनों अपीलों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी सधेश्याम ने एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम कुण्डई, पटवार हल्का समरानियां, तहसील शाहबाद में खसरा नं. 1 रकबा 51 बीघा 05 बिस्वा आराजी स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 से वादी का वाद स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

दोनों अपीलों में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को बिना विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान किये व बिना जवाबदेही का अवसर प्रदान किये बिना एक तरफा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा

  
(दीप्ति रामचन्द्र मीना)  
शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 पारित की गई व विभाजन प्रस्ताव पर बिना अपीलांटगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये विभाजन प्रस्ताव सूचना दिये बिना तैयार किया गया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 विधि विरुद्ध एवं न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत पारित की गई है जो काबिले निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद रेस्पो० कम 1/वादी राधेश्याम द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी.एक्ट का वाद अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि उसके खातेदारी एवं स्वामित्व की 1/8 आराजियात का बंटवारा किया जावे किन्तु राधेश्याम द्वारा इस तथ्य को छुपाया गया कि हिन्दू संयुक्त परिवार में जमीन कय कर उसके नाम पृथक से खाते दर्ज करवा दी गई उस तथ्य को छिपाकर उक्त वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आराजी में बालमुकन्दजी का हिस्सा आपसी सहमति से बंटवारे के अनुसार अपीलांटगण/प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को प्राप्त हुई। इस प्रकार वादी/रेस्पो. कम 1 राधेश्याम द्वारा वादपत्र में मौके पर दखल व कब्जा देने का निवेदन किया गया है किन्तु वादपत्र में धारा 183 आर.टी.एक्ट अंकित नहीं की गई है इस प्रकार बिना धारा 183 की सहायता मांगे मौके पर कब्जा व दखल नहीं दिया जा सकता तथा वादी/रेस्पो० कम 1 राधेश्याम द्वारा इस तथ्य का भी अंकन नहीं किया गया कि किससे कब्जा प्राप्त करना व किसे बेदखल करना है, कही भी अपने वाद पत्र में अंकित नहीं किया गया है इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अंतिम डिक्री में अंकन किया गया है कि ग्राम ग्राम कुण्डई पटवार हल्का समरानियां की आराजी खसरा नं. 1 रकबा 51.05 बीघा में से 6 बीघा 08 हिस्सा का खसरा नं. 1 को वादी के नाम खाता दर्ज कर पृथक कर नक्शे में तरमीम किया जावे तथा मौके पर इसी अनुसार वादी को दखल दिया जावे लेकिन इस तथ्य का कहीं अंकन नहीं किया गया कि किसे बेदखल करें किसे कब्जा दिया जावे इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक व अंतिम डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है इसलिये निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है, जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि विभाजन प्रस्ताव के समय समस्त सहखातेदारान को सूचना दी जावेगी व मौके पर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया जावेगा व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर उस पर पक्षकारान को विधिवत रूप से सुना जावेगा इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन प्रस्ताव मंगाने में व विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद उस पर विधि सम्मत रूप से अपीलांटगण को बिना सुनवाई किये पारित किया गया है जो खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद की निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022



(दीप्ति सम्वन्द्र मीना)  
 शू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
 राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रकरण सं० 35/2019 बउनवान राधेश्याम बनाम नाथूलाल निरस्त फरमाया जाकर इस दिशा निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को पुनः प्रतिप्रेषित किया जावे कि अपीलांटगण को अपनी जवाबदेही एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हल्का पटवारी द्वारा मौके पर सीमाज्ञान करने को जाने पर हुई जिसके दो माह 10 अप्रैल से लेकर दिनांक 13.06.2023 तक हडताल हाने के कारण नकल प्राप्त नहीं हुई। दिनांक 15.06.2023 को नकल के लिए आवेदन कर नकल प्राप्त की गई। अतः जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

दोनों अपीले प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने हमें साक्ष्य एवं सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया और तलबी भी नहीं करवायी। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 अपास्त की जाकर प्रकरण पुनः सुनवायी हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि प्रकरण रिमाण्ड किये जाने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया। हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

ये दोनों अपीले समान पक्षकार एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।

(दीप्ति सम्बन्ध मीना)  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा



हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट क्रम 1 राधेश्याम द्वारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत दावा पेश कर कथन किया है कि ग्राम कुण्डई तहसील शाहबाद में आराजी खसरा नं. 1 रकबा 51.05 बीघा विवादित आराजियात में वादी का विरासतन हिस्सा 1/8 निहित है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रम 2 का हिस्सा 1/8, प्रतिवादी क्रम 3 लगायत 6 का हिस्सा 1/6, प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 10 तथा 11 का संयुक्त हिस्सा 1/3 दर्ज है। प्रतिवादीगण एकमत है जो वादी को विवादित आराजियात में निहित हिस्सा आराजी 1/8 (6.08 बीघा) पर काश्त नहीं करने देते हैं और येन केन प्रकार से वादी का विवादित हिस्सा आराजी को हड़पना चाहते हैं। अतः वादपत्र पेश कर प्रार्थना है कि वादग्रस्त आराजी में वादी का हिस्सा 1/8 का विभाजन कर पृथक से खाता दर्ज फरमाया जाये तथा राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम कर वादी को मौके पर दखल व कब्जा संभलाया जावे। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करे।



उक्त दावे में अधीनस्थ न्यायालय अंता द्वारा अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 से निर्णय पारित करते हुए वादी का वाद स्वीकार कर ग्राम कुण्डई तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 1 रकबा 51.05 बीघा में से वादी हिस्सा 1/8 का अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी सिद्धांत के आधार पर विभाजन किये जाने का निर्णय पारित किया गया। तहसीलदार शाहबाद के पत्रांक 2 दिनांक 23.11.2021 से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.03.2022 से अंतिम डिक्री पारित करते हुए ग्राम कुण्डई तहसील शाहबाद की आराजी खसरा नं. 1 रकबा 51.05 बीघा में से 6.08 बीघा-पूर्वी खसरा नं. 1 को वादी के नाम पृथक से खाता दर्ज कर नक्शे में तरमीम किया जावे और मौके पर इसी अनुसार वादी को दखल दिये जाने के आदेश पारित किये। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 तथा अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 से प्रसन्न होकर प्रतिवादी क्रम 1 व 2 के द्वारा न्यायालय हाजा में पृथक पृथक अपीलें प्रस्तुत की हैं।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंगन नकल जमाबंदी संवत 2070-2073 ग्राम कुण्डई, तहसील शाहबाद प्रदर्श 1 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नं. 1 रकबा 51.05 बीघा के 1/2 हिस्से पर नामान्तरकरण सं. 214 दिनांक 31.05.2016 से जर्जे विरासत मृतक बालमुकन्द के स्थान पर नाथूलाल, राधेश्याम, रामकिशन पुत्र व चम्पोबाई पुत्री

  
(दीप्ति रामचन्द्र मीना)  
सू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पवेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बालमुकन्द का दर्ज होने का नोट अंकित है। प्रदर्श 1 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी में वादी रेस्पोंडेंट क्रम 1 राधेश्याम का 1/8 हिस्सा बनता है। अधीनस्थ न्यायालय में बाद सूचना उपस्थित नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 में दर्ज वादी के हिस्से अनुसार वादी का वाद स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री के विरुद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है तथा वादी राधेश्याम द्वारा इस तथ्य को छुपाकर वाद प्रस्तुत किया गया है कि हिन्दू संयुक्त परिवार में जमीन कय कर उसके नाम पृथक से खाते दर्ज करवा दी गई थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री को खारिज किया जाये एवं प्रकरण सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंगन सम्मन नोटिस के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी अपीलांट बाद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए इसी कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित किया है जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध सम्मन नोटिस के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विधिवत प्रतीत होता है। अपीलांट द्वारा अपील के साथ ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे यह साबित हो सके कि हिन्दू संयुक्त परिवार में जमीन कय कर वादी रेस्पोंडेंट क्रम 1 के नाम पृथक से खाते दर्ज करवा दी गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नकल जमाबंदी प्रदर्श 1 में दर्ज वादी के हिस्से के अनुसार ही 1/8 आराजी अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी आराजी का विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार शाहबाद को आदेशित करते हुए निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की है, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार विधि सम्मत होने से हम अपील के इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते।



अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री के विरुद्ध अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत कर कथन किया है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांट को सुनवाई नहीं दी गई तथा दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन रहा है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। तहसीलदार ने स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंगन विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन अनुसार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.11.2021 को पटवारी, आई.एल.आर. एवं नायब तहसीलदार द्वारा तैयार कर जर्गे तहसीलदार उपखण्ड अधिकारी को प्रेषित किया गया है। तहसीलदार शाहबाद द्वारा अपने

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)

शु-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पत्र दिनांक 23.11.2021 से विभाजन प्रस्ताव पेश किया है जिसमें अंकित किया है कि "सलंगन बंटवारा स्कीम पटवारी, आई.एल.आर.", इससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार शाहबाद द्वारा मौके पर जाए बिना ही दिनांक 22.11.2021 को पटवारी आई.एल.आर. द्वारा तैयार किये गये बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर ही यह बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी शाहबाद को प्रेषित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंगन विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के अभाव रहा है। अतः नियम 1955 के नियम 18 से 21 के आज्ञापक प्रावधानों की पालना के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री खारिज होने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/98 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 यथावत रखी जाती है। अपीलांत द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/97 आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 24.03.2022 खारिज की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि तहसीलदार शाहबाद को मौके पर भेजकर उभयपक्षकारान की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की विधिवत पालना कराते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर प्राप्त करने के पश्चात प्रकरण में पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित करे। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 08.06.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

10/04/2026



(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

**(Civil Procedure Code, Appendix G'9)**

अज अदालत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

1. नाथूलाल पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां मृतक जयें कायम मुकामान -  
1/1. गजानन्द पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड  
1/2. भवानीशंकर पुत्र श्री नाथूलाल, जाति किराड  
1/3. रामवती पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड  
1/4. कल्याणी बाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड  
1/5. गीताबाई पुत्री श्री नाथूलाल, जाति किराड  
निवासीगण महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान
2. रामकिशन पुत्र श्री बालमुकन्द, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राजस्थान  
.... अपीलांट
1. राधेश्याम पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड  
2. श्रीकिशन पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड  
3. रामप्रसाद पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड  
4. गोपाल पुत्र श्री धन्ना लाल, जाति किराड  
निवासीगण ग्राम महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां  
5. रामोबाई पुत्री श्री धन्ना लाल पत्नी श्रीलाल, जाति किराड, निवासी कबर बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश  
6. ईश्वर लाल पुत्र श्री मथुरा लाल, जाति किराड  
7. घनश्याम पुत्र श्री मथुरा लाल, जाति किराड (मृतक)  
7/1. नवीन पुत्र घनश्याम नाबालिग  
7/2. रीतिका पुत्री घनश्याम नाबालिग  
7/3. पूर्ति पुत्री घनश्याम नाबालिग  
7/4. अर्चना पुत्री घनश्याम नाबालिग  
7/5. बबली पुत्री घनश्याम नाबालिग  
जरिये बविलायत माता रामकली पत्नी स्वर्गीय घनश्याम, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0  
7/6. रामकली पत्नी घनश्याम जाति किराड निवासी महोदरा तहसील शाहबाद जिला बारां राज0  
8. रामप्यारी पुत्री मथुरा पत्नी कल्याण, जाति किराड, निवासी बरवन, तहसील बमोरी, जिला गुना मध्यप्रदेश  
9. शांति पुत्री मथुरा पत्नी श्री प्रकाश, जाति किराड, निवासी जखोली, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0  
10. नारायण पुत्र जगन्नाथ, जाति किराड, निवासी महोदरा, तहसील शाहबाद, जिला बारां राज0  
11. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार शाहबाद, जिला बारां  
.... रेस्पोंडेंट

अपील नं 2023/98 (प्राथमिक डिक्री)  
मु.द.नं0 36/2019

एवं नाराजगी डिक्री अदालत - उपखण्ड अधिकारी, शाहबाद  
निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक - 29.01.2021

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 25 माह 03 सन् 2026


श्री ओ.पी.मेहता अभिभाषक अपीलांट की ओर से, श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक रेस्पोंडेंट नं. 1 की ओर से, शेष रेस्पोंडेंटगण अनुपस्थित।

समाअत के लिये पेश होकर हुकम हुआ कि :-

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील संख्या 2023/98 सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2021 यथावत रखी जाती है।

दावा बाबत हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 10 माह 04 सन् 2026 को जारी किया गया।



  
(दीप्ति रामचन्द्र मीना)  
भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन  
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)